

**क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष (2021-22)**

कार्यक्रम का नाम: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Infrastructure for District DMHP centre, Setting up the centre, furniture, computer facilities, telephone etc.

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 5.3.15

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला के सदर अस्पताल में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करना तथा इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय, ओ०पी० डी०, आई०पी०डी०, कौन्सेलिंग रूम, ग्रुप थेरेपी + योगा कक्ष, रेक्रेशनल रूम इत्यादि को व्यवस्थित करना है।

उपरोक्त सभी तरह की वयवस्था हेतु पूर्व में जिला के सिविल सर्जन को कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा उचित दिशा निर्देश भी भेजा जा चुका है।

इकाई राशि (रु० में) : Annexure-1 के आधार पर

वित्तीय दिशा निर्देशन:

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय अंतर्गत चयनोपरांत कार्यरत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी हेतु लैपटॉप, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट हेतु डेस्कटॉप जिला स्तरीय कार्यालय में कुर्सी, टेबल, आलमीरा एवं अन्य सामग्री जो कार्यालय या केंद्र हेतु आवश्यक हो क्रय किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्र सं. 10180 तिथि 30/12/2013 (ख) पत्र सं. 5520 तिथि 25/08/2015 (ग) पत्र सं. 1750 तिथि 09/03/2016, पत्र सं. 7557 तिथि 21/01/2021

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम  
डॉ राजेश कुमार,

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर  
940003157

**SPO**  
**MENTAL HEALTH, SHSB**

(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22

कार्यक्रम का नाम:Health and Wellness Centre

**बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर): Infrastructure Strengthening of SC to H&WC**

**नया बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 5.1.1.2.8**

**पुराना बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 5.1.1.2.h**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर आम जनता को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों की संरचना में प्रथम सम्पर्क के रूप में कार्यरत Health Sub Centres, Additional Primary Health Centres एवं Urban Primary Health Centres को Health & Wellness Centres के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर में निम्नांकित बारह प्रकार की सामान्य प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जानी है:-

(1) गर्भविस्था एवं प्रजनन सेवाएँ (2) नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सामान्य देखभाल सेवाएँ (3) बल्यावस्था एवं किशोर स्वास्थ्य सामान्य देखभाल (4) परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक एवं सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ (5) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुसार संचारी रोगों का प्रबंधन (6) बीमारियों का Outpatient माध्यम से सामान्य प्रबन्धन (7) गैर संचारी रोगों की Screening एवं सामान्य प्रबन्धन तथा जीर्ण संचारी रोग यथा क्षय रोग एवं कुष्ट रोग का सामान्य प्रबन्धन (8) नेत्र एवं ई0एन0टी0 से संबंधित सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ (9) दन्त देखभाल से संबंधित सामान्य सेवाएँ (10) वृद्धावस्था & Palliative स्वास्थ्य सामान्य देखभाल सेवाएँ (11) सामान्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवायें (12) मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की Screening एवं सामान्य प्रबंधन

**इकाई राशि (रु. सात लाख प्रति) :** रु07,00,000/- प्रति संस्थान जिसे Health and Wellness Centres (HWCS) के रूप में विकसित किया जाना है।

वित्तीय दिशा निर्देश : वर्ष 2021-22 में Health & Wellness Centres (HWCS) के रूप में विकसित किये जाने वाले कुल 2874 चयनित HSCs को सभी आवश्यक आधारभूत संरचना, उपकरण, उपस्कर एवं अन्य विकास कार्य करने हेतु रु0 7,00,000/-प्रति स्वास्थ्य संस्थान (HSCs) उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस राशि से निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित कराया जाना है-

- आवश्यकतानुसार भवन, खिड़की/दरवाजों की मरम्मत/रैम्प का निर्माण / आवश्यक फर्नीचर का क्रय एवं पुरुष एवं महिला रोगियों के लिये अलग-अलग शौचालय (Washroom) एवं पेय जल की व्यवस्था तथा Branding कराया जाना है।
- ब्रांडिंग पुस्तिका, जिसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेल के द्वारा एक हार्ड कॉपी सभी को उपलब्ध करा दिया गया है, के अनुरूप HWCS के भवन का रंग रोगन एवं पैटिंग इत्यादि का कार्य किया जाना है।
- आवश्यकतानुसार सभी चिन्हित HSCs पर Operational Guidelines के अनुसार उपकरणों का क्रय किया जा सकता है।

८

  
 (अविनाश कुमार पाण्डेय)  
 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
 राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना



- iv. मरीजों के प्रतिक्षालय(Waiting Area) में बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था एवं NCD से संबंधित पोस्टरों का संस्थापन, Citizen's Charter जिसका प्रारूप आपको उपलब्ध कराया जा चुका है।
- v. दवाओं एवं अन्य सामग्रियों को रखने हेतु उचित जगह की व्यवस्था।
- vi. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन (Bio Medical Waste Management) हेतु उपयुक्त व्यवस्था।
- vii. स्वास्थ्य संस्थान में बिजली इत्यादि की व्यवस्था।
- viii. OPD Registration हेतु Queue Management System की व्यवस्था करना, ताकि मरीजों को पंक्ति में खड़ा होकर परेशानियों का सामना न करना पड़े।
- ix. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर(H&WC) के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित सभी HSC/APHCS को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के ROP के NEW FMR Code 5.1.1.2.h में प्रति HSCs/APHCS के लिये 7,00,00/- (सात लाख) कणाकित है। Gap Analysis के आधार पर HWC के रूप में चिन्हित स्वास्थ्य संस्थानों को विकसित करने में सात लाख से अधिक अथवा उससे कम राशि व्यय की जा सकती है, परन्तु जिलों को अधिकतम आवंटन सात लाख रूपये प्रति चिन्हित HWC के आधार पर किया जा रहा है। अर्थात् जिला में इस मद में प्रति HWC औसत सात लाख रूपये तक व्यय किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें) 2897 दिनांक 27.07.2018, 8043 दिनांक 16.02.2019 एवं पत्रांक 6458 दिनांक 20.12.2018 एवं पत्र संख्या 486 दिनांक 24.09.2020 का अवलोकन किया जाय।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ. ए. के. शाही/डॉ माज इकबाल  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 8544402010/9470003070

डॉ. डॉ. कौ० शाही  
राज्य कार्यक्रम एवं विकास  
राज्य स्वास्थ्य समिति, लिलार

(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, विहार, पटना

## क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष—2021-22

कार्यक्रम का नाम: NTEP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Civil Works under NTEP

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 5.3.14

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

- राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य यक्षमा केन्द्र, टी०बी०डी०सी०, पटना / दरभंगा, सभी जिलों में जिला यक्षमा केन्द्र, 6 नोडल डी०आर० टीबी सेन्टर (टी०बी०डी०सी०, पटना/आई०जी०आई०एम०एस०, पटना दरभंगा/भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर), 534 टीबी यूनिट, 736 चिह्नित बलगम जाँच केन्द्र, 70 CBNAAT साईट सभी जिलों में कम से कम दो बेड का डिस्ट्रीक डी०आर० टीबी सेन्टर, एवं राज्य में संभावित MDR यक्षमा मरीजों का जाँच हेतु टी०बी०डी०सी०, पटना में आई०आर०एल०, भागलपुर एवं दरभंगा में C & DST Lab स्थापित है के मरम्मति हेतु राशि इस मद में प्रावधानित है।
- आधारभूत संरचना के उपलब्धता के आधार पर वर्धमान आर्युविज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में एम०डी०आर० वार्ड, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना में LPA Lab, टी०बी०डी०सी०, दरभंगा में अतिरिक्त राज्य दवा भण्डार, दरभंगा के विस्तारिकरण हेतु अनुमोदन दी गयी है, जिस पर होने व्यय इस मद से की जायेगी।

इकाई राशि (रु० में) :- 2,81,68,000/- (दो करोड़ एकासी लाख अड़सठ हजार रुपये मात्र)

### वित्तीय दिशा—निर्देश :-

- सिविल वर्क शीर्ष के अन्तर्गत अनुमोदित राशि से स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध स्थान / कमरों की केन्द्रीय यक्षमा प्रभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप आवश्यकतानुसार फर्श, दिवालों, खिडकियों, दरवाजों, पानी की नल, सिंक, नालां का मरम्मती एवं बिजली तार, बिजली अर्थिंग, पंखें, ए०सी० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। शीर्ष से आवश्यक उपस्कर यथा टेबुल, कुर्सी, अलमीरा, रैक आदि की मरम्मती अथवा क्रय भी की जाएगी।
- डी०टी०सी०, टीबी० यूनिट, डी०एम०सी० के रख-रखाव हेतु समेकित (Pooled) राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति पूर्व से कार्यरत टी०बी० यूनिट, डी०एम०सी० अथवा नये स्थाप्य CBNNAT/ Truenat Machine/ X-Ray Machine with CR System की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय कर सकती है। सामाग्रियों, उपस्करों का क्रय करते समय बिहार सरकार द्वारा निर्गत संशोधित वित्तीय नियमावली-2005 / 2016 के नियम के अनुसार क्रय किया जाए।
- टी०बी०डी०सी०, पटना के उपरी छत (ट्रेनिंग हॉल एवं छात्रावास) एवं राज्य यक्षमा दवा भण्डार के उपरी छत के वाटर प्रुफिंग के लिए क्रमशः 800000/-, 300000/- रुपये अनुमोदित है।
- राज्य में टीबी के जाँच/उपचार प्रबंधन हेतु Centre of Excellence निर्माण हेतु 150.00 लाख अनुमोदित है जो उपलब्ध आधारभूत संरचना पर कार्य संपादित की जायेगी। यह राशि राज्य स्तर पर उपबंधित है।
- वर्धमान आर्युविज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में एम०डी०आर० वार्ड एवं आई०जी०आई०एम०एस०, पटना में LPA Lab के सिविल कार्य हेतु प्रति संस्थान 15.00 लाख रुपये अनुमोदित है।
- टी०बी०डी०सी०, दरभंगा में अतिरिक्त राज्य दवा भण्डार संचालन हो चुका है जिसके विस्तारण हेतु अतिरिक्त 8.00 (आठ लाख रुपये) आवंटित की जा रही है।
- विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु केन्द्रीय यक्षमा प्रभाग, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त अद्यतन वित्तीय निदेश (Norms and Basic of Costing for RNTCP under NSP (2012-17) देखा जाय।

### संलग्न:-

- Norms and Basic of costing for RNTCP under NSP (2017-25)
  - Financial Management Manual for State and District Societies
- उक्त निर्देशिका [www.tbcindia.org](http://www.tbcindia.org) पर देखा जा सकता है।

  
(अविनाश कुमार पाण्डेय)  
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :—

डा० बाल कृष्ण मिश्र

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :—0612- 2636383/ 9473197731

